न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बां

वाद संख्या–145 / 2017

1. रामकेश मीना पुत्र हरगोविन्द जाति मीना निवासी कोटवालों का बास
2. कविता गुर्जर पत्नि सुमेर सिंह गुर्जर
3. भानुप्रसाद पुत्र सुमेरसिंह
4. राजवीर पुत्र सुमेरसिंह समस्त जाति गुर्जर निवासी नुरपुर

–: वादीग

बनाम

1. रंगलाल मीना पुत्र मन्नू राम उर्फ भज्या मीना निवासी रलावता हाल निवासी सैथल रो मोडा का बालाजी दौसा।
2. कालूराम पुत्र मन्नू राम मीना निवासी रलावता हाल निवासी भूपाला सोनावा अलवर
3. गिर्राज प्रसाद पुत्र रेवडमल मीना निवासी ढाणी राजाहेडा तह0 बसवा
4. जगदीश प्रसाद मीना पुत्र प्रभूदयाल मीना निवासी खटीक का तिबारा
5. राजस्थान सरकार जरीये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बसवां
6. उपपंजीयक अधिकारी बडियाल कलां।

–: प्रतिवादीग

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक निर्णय–12.02.201

उपस्थित :– 1. श्री गिर्राज प्रसाद सैन एडवोकेट वादीगण
2. श्री नवीन कुमार गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण रामकेश वगै0 ने न्यायालय हाजा में पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है:–

1. यह है कि ग्राम सोनाडी पटवारी हल्का गुढाआशिकपुरा की खैतोनी संख्या नई 15 पुरानी 14 के ख0 नं0 55 रकबा 0.04 है0, 56 रकबा 0.11 है0, 57 रकबा 0.14 है0, 134 रकबा 0.14 है0, 135 रकबा 0.37 है0, 136 रकबा 0.40 है0 कुल किता 6 रकबा 1.33 है0 भूमि जिस पर मुतदाविया के नाम से दावा प्रस्तुत किया गया है। भूमि मुतदाविया के तत्कालीन खातेदार

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

भज्या उर्फ मन्नुराम का 1/2 हिस्सा था जिसमे से तत्कालीन खातेदार भज्या ने जरीये इकरार नामा विक्रय पत्र स्टाम किमती 50 रूपये पर दिनांक 03.01.200 को रामफूल पुत्र हाबूड्या को बिल एवज 40,000 रूपये में 15 बिस्वा भूमि का बेचान कर कब्जा रामू पुत्र हाबुडया को कराया जाना वाद पत्र में अंकित किया गया है।

2. यह है कि रामू पुत्र हाबूडया द्वारा खरीद की गई 15 बिस्वा भूमि को वादीगण को जरीये इकरार नामा विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2010 स्टाम किमती 100 रूपये पर रूपये 1,45,000 में विक्रय कर दिया और रामू पुत्र हाबूडया ने अपनी निशानी लगा दी और स्टाम वादीगण को दे दिया। इन्ही विक्रय पत्रो के आधार पर वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जरीये वकील उपस्थित हो कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सीआरपीसी के पेश किया। जिसके तथ्य निम्न प्रकार है:–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सीआरपीसी

1. यह है कि वादीगण भूमि मुतदाविया के खातेदार नही है ना ही काबिज काश्त है। भूमि मुतदाविया के समस्त खातेदारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।
2. यह है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की भूमि का विक्रय दान और वसियत किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नही की जा सकती जो अनूसूचित जनजाति का नही है। इस कारण वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्णित होने के कारण चलने योग्य नही होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है।
3. यह है कि वादीगण 2 ला0 4 गुर्जर समाज के व्यक्ति है जो कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य नही है।
4. या है कि वादीगण के हक में वाद कारण भी उत्पन्न नही हुआ है इस कारण भी वाद पत्र चलने योग्य नही है।

उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सीआरपीसी प्रस्तुत करने पर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये गये। वादीगण द्वारा प्रार्थना का कोई जवाब प्रस्तुत नही करने पर प्रार्थना पत्र पर सीधी बहस की गई।

वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सूनने के पश्चात एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड विक्रय दस्तावेज आदि का अवलोकन करने के

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

उम्र 44 वर्ष पुत्र रेवड़मल जाति मीना निवासी –

पश्चात दावा वादीगण मुताबिक अनरजिस्टरर्ड दस्तावेजो के आधार पर चलने योग्य नही हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की भूमि का विक्रय दान और वसियत किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नही की जा सकती जो अनूसूचित जनजाति का नही है। इस प्रकार वाद पत्र में धारा 42 का भी उल्लघंन हो रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सीआरपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा इसी आधार पर प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा कर मनन किया गया जिसमें वादीगण दावा को साबित नही कर पाया। अतः दावा वादीगण गुणावगुण के आधार पर प्रमाणित नही होने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 12.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद पूर्ति जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

12/2/18

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)